उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम,2005 की धारा 6(2) के अधीन अपेक्षित विवरण।

अधिनियम की धारा 6(2) में निम्नवत् व्यवस्था हैः–

''वित्त विभाग का प्रभारी मंत्री प्रत्येक अर्द्ध वर्ष पर बजट से सम्बंधित प्राप्तियों और व्यय के रूख, बजट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किये जाने वाले उपचारी उपायों का पुनर्विलोकन करेगा और ऐसे पुनर्विलोकनों के परिणाम को विधान सभा के समक्ष रखेगा।

पुनर्विलोकन रिपोर्ट मेंः–

(क) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार पर डाली गयी बाध्यताओं की पूर्ति करने में किसी विचलन या सम्भावित विचलन को स्पष्ट किया जायगाः–

(ख) स्पष्ट किया जायेगा कि क्या ऐसा विचलन पर्याप्त है और वास्तविक या संभावी बजट सम्बंधी परिणामों में सम्बंधित है, और कितना विचलन सामान्य आर्थिक पर्यावरण और राज्य सरकार द्वारा नीति परिवर्तनों के कारण है; और

(ग) उन उपचारी उपायों को स्पष्ट किया जायगा जिन्हें राज्य सरकार करने के लिए प्रस्तावित करे।

वर्ष 2007–08 के महालेखाकार से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर वर्ष 2007–08 की तथा वर्ष 2008–2009 के पुनरीक्षित अनुमानों के आधार पर वर्ष 2008–09 की पुनर्विलोकन रिपोर्ट निम्नवत प्रस्तुत की जा रही है।

(1) वर्ष 2007–08 के सम्बंध में पुनर्विलोकन रिपोर्टः–

वर्ष 2007–08 के लिये महालेखाकार से प्राप्त वास्तविक आँकड़ों के अनुसार स्थिति निम्नवत् हैः–

तालिका–1

(धनराशि करोड़ रूपये में)

मद	बजट अनुमान 2007–08	वास्तविक आँकड़े 2007–08	बजट अनुमानों के सापेक्ष प्रतिशत के रूप में
1	2	3	4
(अ) गैर उधार प्राप्तियाँ			
1. राज्य का स्वयं का कर राजस्व	2745.43	2738.77	99.76
2. करेतर राजस्व	883.36	668.38	75.66
3. केन्द्रीय करों में राज्यांश	1245.09	1427.68	114.66
4. केन्द्र सरकार से अनुदान	4142.61	3056.26	73.78
5. कुल राजस्व प्राप्तियाँ	9016.49	7891.09	87.52
6. उधार एवं अग्रिम की वसूली	156.36	68.43	43.76
7. कुल गैर उधार प्राप्तियाँ	9172.85	7959.52	86.77
(ब) व्यय			
8. राजस्व व्यय	8072.58	7254.55	89.87
9. पूँजीगत परिव्यय	2377.37	2234.82	94.00
10. उधार एवं अग्रिम	183.12	212.54	116.07
11. कुल व्यय	10633.07	9701.91	91.24
(स) राजस्व बचत (+)/घाटा (–)	943.91	636.54	67.44
(द) राजकोषीय घाटा	-1460.22	-1742.39	119.32

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2007–08 में राजस्व बचत में परिवर्तित हुआ ह तथा राजकोषीय घाटे में भी बढ़ोत्तरी हुई है। अतः इस प्रकार वर्ष 2007–08 के वास्तविक आँकड़ों में राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति में कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव परिलक्षित नहीं होता है।

(2) वर्ष 2008–09 के सम्बंध में पुनर्विलोकन रिपोर्टः–

वर्ष 2008–09 के पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार सरकार की राजकोषीय स्थिति निम्नवत् हैः–

तालिका–2

(धनराशि करोड़ रूपये में)

मद	बजट अनुमान 2008–09	पुनरीक्षित अनुमान 2008–09	बजट अनुमानों के सापेक्ष प्रतिशत के रूप में
1	2	3	4
(अ) गैर उधार प्राप्तियाँ			
1. राज्य का स्वयं का कर राजस्व	3119.83	3053.63	97.88
2. करेतर राजस्व	897.23	656.88	73.21
3. केन्द्रीय करों में राज्याशं	1679.83	1506.03	89.65
4. केन्द्र सरकार से अनुदान	4759.67	3537.25	74.32
5. कुल राजस्व प्राप्तियाँ	10456.56	8753.79	83.72
6. उधार एवं अगिम की वूसली	260.24	161.60	62.10
7. कुल गैर उधार प्राप्तियाँ	10716.80	8915.40	83.19
(ब) व्यय			
8. राजस्व व्यय	8662.53	8153.92	94.13
9. पूंजीगत परिव्यय	2802.45	2233.00	79.68
10. उधार एवं अग्रिम	407.12	85.24	20.94
11. कुल व्यय	11872.10	10472.16	88.21
(स) राजस्व बचत	1794.03	599.87	33.44
(द) राजकोषीय घाटा	-1155.30	-1556.76	134.75

(क) तालिका–2 से स्पष्ट है कि वर्ष 2008–09 के पुनरीक्षित अनुमानों में सरकार की कुल गैर उधार प्राप्तियाँ बजट अनुमान में ली गयी कुल गैर उधार प्राप्तियों का 83.19 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इनमें राज्य का स्वयं का कर राजस्व बजट अनुमान का 97.88 प्रतिशत तथा करेतर राजस्व 73.21 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

(ख) पुनरीक्षित अनुमानों में कुल गैर उधार व्यय बजट अनुमान का 88.21 प्रतिशत रहने का अनुमान है जिसमें बजट अनुमान के सापेक्ष राजस्व व्यय के 94.13 प्रतिशत, पूंजीगत परिव्यय के 79.68 प्रतिशत एवं उधार एवं अग्रिम के 20.94 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

(ग) वर्ष 2008–09 के बजट अनुमानों में 1794.03 करोड़ रूपये की राजस्व बचत अनुमानित थी, जिसके सापेक्ष पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार राजस्व बचत 599.87 करोड़ रूपये तथा बजट अनुमानों में 1155.30 करोड़ रूपये के राजकोषीय घाटे के सापेक्ष राजकोषीय घाटा 1556.76 करोड़ रूपये रहने का अनुमान ह। इस प्रकार बजट अनुमानों के सापेक्ष राजस्व बचत में 1194.16 करोड़ रूपये की कमी तथा राजकोषीय घाटे में 401.46 करोड़ रूपये की वृद्धि रहने का अनुमान है। पुनरीक्षित अनुमानों में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.88 प्रतिशत है। अतः इस प्रकार वर्ष 2008–09 के पुनरीक्षित अनुमानों में राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति में प्रतिकूल प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। जिसका मुख्य कारण निम्न हैः–

वर्ष 2008–09 में अन्तराष्ट्रीय परिस्थितियों तथा अप्रत्याशित वैश्विक मंदी के प्रारम्भ होने के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी आयी। इस मंदी का प्रभाव केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों पर भी पड़ा। जिसके फलस्वरूप राजस्व प्राप्तियों में गिरावट आयी है तथा छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से सरकारी खर्च में पर्याप्त बढ़ोत्तरी हुयी है जिसके फलस्वरूप राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा में बढ़ोत्तरी हुयी तथा राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा के लक्ष्यों को वित्तीय वर्ष में प्राप्त नहीं किया जा रहा सका। वित्तीय वर्ष 2009–10 में भी इन लक्ष्यों के पूर्वानुमान प्रभावित होगे, तथापि राज्य सरकार मध्यावधि में अपने प्रयासों से सुधार लाकर आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने का प्रयास करेगी।